राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1827 / 2019

अब्दुल गनी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. मुख्य अभियंता (प्रशा.), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, पीएचईडी हेड ऑफिस केम्पस, जयपुर, राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर जॉन– I, जयपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.08.2024

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी वाहन चालक के पद पर अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.09.2014 को सेवानिवृत्त हो चुका है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 09.02.2015 (अनुलग्नक–1) जारी किया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान में जो 4200 / – रूपये दिये गये थे, उसे दिनांक 01.07.2013 से रूपये 2800+300 / – किया जाकर अधिक दी गई राशि 60,214 / – रुपये की वसुली अपीलार्थी की ग्रेचुटी राशि में से किये जाने के आदेश दिये गये। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.2014 को हो गई थी। सेवानिवृत्ति के लगभग 4 माह पश्चात अपीलार्थी से वसूली की गयी है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे यह कथन रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में यह निर्धारित किया है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय एवं सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व वसूली नहीं की जानी चाहिए।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कमांक राज० जयपुर के आदेश एफ2(374) जन स्वा / का / 2012–13 / 12475 / –76 दिनांक

03.03.2014 के द्वारा अपीलार्थी को 27 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर दिनांक 01.03.2011 से वेतन श्रृंखला 5200–20200 ग्रेड पे 2800 पर वेतन निर्धारण किया गया। वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक एफ14/(1) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 10.07. 2013 के परिशिष्ठ अ के अनुसार ग्रेड पे 2800 (ग्रेड पे संख्या 10 पे बेण्ड 1) को रनिग पे बेण्ड 5200–20200 में पूर्ववत 2800 ही रखा गया, परन्तु आदेश की व्याख्या गलत तरीके से की जाने के कारण अपीलार्थी का वेतन 4200 ग्रेड पे पर 01.07.2013 से निर्धारित कर दिया गया एवं तदनुरूप समस्त वित्तीय लाभ भी दे दिये गये। वित्त विभाग के राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ14 (1) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 10.07.2013 के परिशिष्ठ–अ के अनुसार अपीलार्थी का वेतन नियमानुसार ग्रेड पे 2800 पर निर्धारित किया जाकर अधिक भुगतान किये गये रूपये 60214/– की वसूली कर्मचारी की ग्रेच्यूटी से करने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर क्षेत्र प्रथम के पत्रांक 8736 दिनांक 09.02.2015 से निदेशक पेंशन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर को लिखा गया।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी को अधिक वेतन भुगतान किये जाने में अपीलार्थी की कोई गलती नहीं रही है। अपीलार्थी से उसकी सेवानिवृति से 4 माह से अधिक समय बाद उससे वसूली की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

> State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195
> "12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:
> (i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).
> (ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.
> (iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.
> (iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.
> (v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

5. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि ऐसे कर्मचारी से जिनकी सेवानिवृति में एक वर्ष से कम समय शेष रहा अथवा जिनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी हो तो

उनसे वसूली किया जाना उचित नहीं है। अतः यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. यह अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी से उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात वसुली के संबंध में पारित आदेश दिनांक 09.02.2015 को निरस्त किया जाता है। यदि अपीलार्थी से उक्त आदेश के संबंध में कोई वसुली की गई है तो वसूल की गई राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ अपीलार्थी को तीन माह में वापस लौटाई जाए।
7. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)